2022 का विधेयक संख्यांक 215

[दि मल्टी-स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

धारा 3 का संशोधन ।

2. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,— 2002 का 39

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(कक) "प्राधिकरण" से धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (घ) में, "धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंकों के स्थान पर "धारा 4 की उपधारा (1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243 यज के खंड (च) के अनुसार" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंकों को रखा जाएगा ;

(iii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(चक) "सहकारी ऑम्बुड्समैन" से धारा 85क के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सहकारी ऑम्बुड्समैन अभिप्रेत है ;';

(iv) खंड (झ) में, "सहकारी वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "सहकारी वर्ष या वितीय वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) खंड (ध) में, "अभिप्रेत है" शब्दों के पश्चात्, 'और "अधिसूचित" पद का इसके सजातीय अर्थों तथा व्याकरणिक रूपभेदों के साथ तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 7 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय रजिस्ट्रार, किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा यदि समादत्त पूंजी का कुल मूल्य और तरलता सहित आरक्षितियों का उपबंध, बचत-उधार समिति के कारबार में लगी प्रस्तावित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट निवेश और अन्य विवेकपूर्ण संनियम ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार होंगे जो विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ होने से पूर्व रजिस्ट्रीकृत बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के भीतर ऐसे मानकों को पूरा करेगी :

परंतु यह और कि यदि बहुराज्य प्रत्यय सोसाइटी की तरलता, निवेश, विवेकपूर्ण संनियम और अन्य मानदंड, उपरोक्त उल्लिखित अवधि के भीतर ऐसे मानकों को पूरा नहीं करती है, तब केन्द्रीय रजिस्ट्रार को ऐसे निदेश जारी करने की शक्ति होगी जिन्हें वह ऐसी सोसाइटी के प्रति सुसंगत कार्रवाई करने के लिए समुचित समझता है :

परंतु यह और भी कि बहुराज्य सहकारी बैंक के मामले में, प्रदत्त पूंजी का कुल मूल्य और उपनियमों में उपबंधित तरलता मानकों के साथ आरक्षित के उपबंध ऐसे होंगे जैसा कि समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिकथित करे ।

(3) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा उनके द्वारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा :

परन्तु केन्द्रीय रजिस्ट्रार, आवेदन में भूल, यदि कोई हो, के सुधार के लिए, आवेदक के अनुरोध पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं तीन मास की अवधि को ऐसी अतिरिक्त दो मास की अवधि से अनधिक अवधि तक विस्तार कर सकेगा ।

(4) जहां केन्द्रीय रजिस्ट्रार बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को रजिस्टर करने से इंकार कर देता है, वहां वह ऐसे इंकार करने का कारण बताते हुए, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदक को संसूचित करेगा :

परंतु इंकार का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो :

परंतु यह और कि यदि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का निपटारा उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है या केंद्रीय रजिस्ट्रार उस अवधि के भीतर इंकार के आदेश को सूचित करने में असफल रहता है तो आवेदन रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया समझा जाएगा और केंद्रीय रजिस्ट्रार इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा ।"।

धारा 10 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (क) में, "पता" शब्द के स्थान पर, "पता (जिसके अंतर्गत ई-मेल पता भी है)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 14 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(i) पार्श्व टिप्पण "पते में परिवर्तन" शब्दों के स्थान पर "पता" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) शब्द "पता" के स्थान पर "पता, जिसमें ई-मेल पता भी शामिल है" शब्दों को रखा जाएगा ।

धारा 17 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित का जाएगी :—

"(10) कोई सहकारी समिति, ऐसी सोसाइटी के साधारण अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा मौजूदा बहुराज्य सहकारी समिति में विलय करने का विनिश्चय कर सकेगी :

परंतु ऐसा संकल्प संबंधित तत्समय प्रवृत्त राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के उपबंधों के अधीन होगा जिसके अधीन ऐसी सहकारी समिति रजिस्ट्रीकृत है ।"।

धारा 19 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 19 में, स्पष्टीकरण के खंड (क) में,—

(i) उपखंड (ii) के अंत में आए "या" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपखंड (iii) का लोप किया जाएगा ।

धारा 22 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (5) में, खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) सहकारी सोसाइटी को, उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त ऐसी सहकारी सोसाइटी से संबंधित विधि के अधीन ऐसी सहकारी सोसाइटी को केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत संशोधन की प्रति सहित जारी किए गए और अग्रेषित किए गए प्रमाणपत्र की तारीख से विपंजीकृत किया गया समझा जाएगा ।"।

धारा 26 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 26 में,—

(i) परंतुक में "ऐसी सोसाइटी के शेयरों में अभिदाय करने का हकदार नहीं होगा या" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि अभिहित या सहयुक्त सदस्य को ऐसे गैर-मतदान शेयर जारी किए जा सकते हैं जो उसे बहुराज्य सहकारी समिति के प्रबंधन में कोई हित जिसमें मताधिकार, बोर्ड के निदेशक के रूप में निर्वाचित होना या साधारण निकाय अधिवेशनों में भाग लेना भी है, प्रदान नहीं कर सकेगा :

परंतु यह और भी कि बहुराज्य सहकारी बैंक के मामले में, ऐसे शेयर समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार जारी किए जाएंगे ।"।

धारा 28 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 28 में, "जब तक कि उसने सदस्यता के संबंध में सोसाइटी को ऐसा संदाय न किया हो, या" शब्दों के स्थान पर, "जब तक कि उसने सदस्यता के संबंध में संदाय सहित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को सभी बकायों का संदाय न कर दिया हो या उत्पाद या सेवाओं, जो उपनियमों में यथाविनिर्दिष्ट है के ऐसे न्यूनतम स्तर का उपभोग न कर लिया हो, या" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 29 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 29 के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) वह दो निरंतर वर्षों के लिए उपविधियों में यथाविनिर्दिष्ट उत्पादों या सेवाओं के न्यूनतम स्तर का उपयोग करने में असफल रहता है ; या"।

धारा 30 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 35 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 35 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

शेयरों का मोचन ।

"35. (1) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) में निर्दिष्ट प्राधिकरणों के ऐसे शेयर, जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों में धारित किए गए हैं,—

(क) ऐसे प्राधिकरणों के पूर्व अनुमोदन के बिना मोचित नहीं किए

जाएंगे ;

(ख) ऐसी रीति में मोचित किए जा सकेंगे, जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी तथा ऐसे प्राधिकरणों के बीच तय किया जाए ।

(2) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ङ) से खंड (छ) तक में निर्दिष्ट किन्हीं प्राधिकरणों द्वारा, किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में धारण किए गए शेयर ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार मोचित किए जाएंगे और उस दशा में, जहां उपविधियों में इसकी बाबत कोई उपबंध नहीं है, ऐसी रीति में मोचित होंगे, जो किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी और ऐसे प्राधिकरणों के बीच तय किया जाए ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट शेयरों का मोचन शेयर के अंकित मूल्य पर होगा ।"।

धारा 39 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में, खंड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(त) संपरीक्षक की नियुक्ति ।"।

धारा 41 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 41 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

'(3) बोर्ड, इक्कीस से अनधिक निदेशकों की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा, जिनमें व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के व्यष्टियों और सदस्यों से मिलकर बनी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा और दो महिलाएं होंगी :

परंतु बोर्ड, बैंक के प्रबंधन, सहकारी प्रबंधन और वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले या ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा अपनाए गए उद्देश्यों तथा किए गए क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले बोर्ड के सदस्यों को सहयोजित कर सकेगा :

परंतु यह और कि ऐसे सहयोजित किए गए सदस्यों की संख्या इस उपधारा में विनिर्दिष्ट इक्कीस निदेशकों के अतिरिक्त, ऐसे दो निदेशकों से अधिक नहीं होगी ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट सहयोजित निदेशकों को पदाधिकारियों के किसी निर्वाचन में मत डालने का अधिकार नहीं होगा या वे बोर्ड के पदाधिकारियों के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(5) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में कृत्यकारी निदेशक भी, इसकी उपविधियों के अनुसार बोर्ड के सदस्य होंगे और ऐसे निदेशक, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट निदेशकों की कुल संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिए विवर्जित किए जाएंगे ।

(6) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई निदेशक, निदेशक के रूप में, ऐसी सोसाइटी द्वारा या उसकी ओर से की गई या की जाने वाली किसी संविदा या ठहराव के संबंध में विचार-विमर्श या मतदान में उपस्थित नहीं होगा, यदि वह

या उसका नातेदार प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी संविदा या ठहराव से संबंधित है या उसमें हितबद्ध है और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में किसी आसीन निदेशकों का संबंधी, सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी सहित यथा कर्मचारी के रूप में नहीं नियुक्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यष्टि के संदर्भ में "नातेदार" पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(क) पति या पत्नी ;

(ख) पिता (जिसके अंतर्गत सौतेला पिता भी है) ;

(ग) माता (जिसके अंतर्गत सौतेली माता भी है) ;

(घ) पुत्र (जिसके अंतर्गत सौतेला पुत्र भी है) ;

(ङ) पुत्रवधू ;

(च) पुत्री (जिसके अंतर्गत सौतेली पुत्री भी है) ;

(छ) दामाद ;

(ज) दादा ;

(झ) दादी ;

(ञ) नाना ;

(ट) नानी ;

(ठ) पौत्र ;

(ड) पौत्रवधू ;

(ढ) पौत्री ;

(ण) पौत्री का पति ;

(त) नाती ;

(थ) नाती की पत्नी ;

(द) नातिन ;

(ध) नातिन का पति ;

(न) भाई (जिसके अंतर्गत सौतेला भाई भी है) ;

(प) भाई की पत्नी ;

(फ) बहन (जिसके अंतर्गत सौतेली बहन भी है) ;

(ब) जीजा ; और

(भ) हिंदू अविभक्त कुटुंब ।

(7) बोर्ड का ऐसा कोई निदेशक, जो उपधारा (6) के उपबंध का उल्लंघन करता है, बोर्ड का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उक्त उपधारा में निर्दिष्ट बोर्ड के ऐसे अधिवेशन की तारीख से अपना पद रिक्त कर दिया है जैसा कि उक्त उपधारा में निर्दिष्ट है और ऐसी कार्यवाही शून्य समझी जाएगी।'।

धारा 43 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 43 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (क) में "दिवालिया" शब्द के पश्चात् "या दिवालिया कंपनी के निदेशक रहें हो" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ख) खंड (ज) में, "इस अधिनियम के अधीन" शब्दों के पश्चात्, "या तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिनियम के अधीन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) खंड (ढ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ण) धारा 41 की उपधारा (7) के अधीन निरर्हित किया गया है ;";

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) ऐसा कोई सदस्य, जो किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या सहकारी बैंक के बोर्ड का निदेशक रहा है, जहां ऐसा बोर्ड अधिक्रान्त हो गया है, किसी अन्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या सहकारी बैंक के बोर्ड के निदेशक के रूप में ऐसे अधिक्रमण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु कोई भी सदस्य इस उपधारा के अधीन अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे सदस्य को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है और अयोग्यता की घोषणा अभिनिश्चय के पश्चात् केवल तभी की जाएगी जब संबंधित सदस्य ऐसे अधिक्रमण के परिणामस्वरूप कार्य या लोप के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं ।";

(iii) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन ऐसी रीति से जो विहित की जाए, निर्वाचन करवाने के लिए यथा अपेक्षित सूचना, दस्तावेज, कार्मिक, निधियां या खर्चों या कोई अन्य सहायता उपलब्ध करने में ;";

(ख) खंड (ग) में, "साधारण अधिवेशन" शब्दों के स्थान पर, "साधारण अधिवेशन ; या" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(घ) धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सहकारी शिक्षा निधि या धारा 63क के अधीन स्थापित सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि में अभिदाय करने में ; या

(ङ) धारा 120 के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर वार्षिक विवरणी फाइल करने में ; या

(च) उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे लेखा संबंधित है, की समाप्ति के छह मास के भीतर सोसाइटी की संपरीक्षा कराने में :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व, उसे केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।"।

धारा 45 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 45 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना ।

"45. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के नाम से ज्ञात प्राधिकरण का गठन करेगी, जो कि ऐसे व्यक्तियों, जो विहित किए जाएं, से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा ।

(2) प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

(3) कोई व्यक्ति,—

(i) प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक उसने भारत सरकार के अपर सचिव या समतुल्य पंक्ति का पद धारण न किया हो ;

(ii) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक उसने भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य पंक्ति का पद धारण न किया हो ; और

(iii) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह ऐसी अर्हता और अनुभव, जो विहित किया जाए, पूरी नहीं करता हो ।

(4) प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए या उनके द्वारा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करेंगे और वे पुन:नियुक्ति के लिए पात्र होंगे :

परंतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति के मामले में, वह पदेन सदस्य के रूप में माना जाएगा और वह तब तक बना रहेगा जब तक वह उस पद पर रहता है जिसके आधार पर वह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है ।

(5) प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों, पदेन सदस्यों से भिन्न, को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

अध्यक्ष की शक्ति ।

45क. प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्राधिकरण के कार्यकलापों के संचालन में साधारण अधीक्षण और निदेशन की शक्तियां प्राप्त होंगी तथा वह प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं ।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हटाया जाना और उनका निलंबन ।

45ख. (1) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकेगी, यदि, यथास्थिति, प्राधिकरण का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य,—

(क) दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है ;

(ख) ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ;

(ग) प्राधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ;

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे प्राधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; या

(च) अपनी पदावधि के दौरान किसी समय किसी अन्य नियोजन में लगा हुआ है ।

(2) प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को, उसके पद से केंद्रीय सरकार के आदेश द्वारा साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर यदि केन्द्रीय सरकार उसके द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार हुई जांच पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य किसी ऐसे आधार पर हटाया जाना चाहिए, उसके पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(3) केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन जांच आरंभ की गई है या लंबित है, तब तक निलंबित नहीं कर सकेगी, जब तक केंद्रीय सरकार ने जांच की रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर कोई आदेश पारित न कर दिया हो ।

45ग. (1) किसी व्यक्ति को प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे वह ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के अपने कार्य को करने में प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है ।

(2) प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य पदग्रहण करने के पश्चात् तुरंत और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष, उस सीमा की घोषणा करेगा जिस सीमा तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या वित्तीय या अन्यथा किसी सहकारी सोसाइटी में उसका हित है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन की गई ऐसी घोषणा प्राधिकरण द्वारा पब्लिक डोमेन में रखी जाएगी ।

सदस्यों का त्यागपत्र

45घ. पदेन सदस्यों से भिन्न, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, कम से कम तीस दिन की लिखित सूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और सरकार द्वारा ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार करने पर, उसका पद रिक्त माना जाएगा :

परंतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को जब तक अपने पद को त्याग करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति नहीं दे दी जाती है ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक या जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है या जब तक उसकी पदावधि समाप्त नहीं हो जाती है, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपना पद धारण किए रहेगा ।

आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना ।

45ङ. यदि प्राधिकरण का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के पद की कोई आकस्मिक रिक्ति, चाहे वह उसकी मृत्यु, उसके त्यागपत्र या अन्यथा के कारण, होती है, तो ऐसी रिक्ति धारा 45 के उपबंधों के अनुसार नई नियुक्ति करके नब्बे दिन की अवधि के भीतर भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति ऐसी शेष पदावधि के लिए वैसे ही पद धारण करेगा, जिसके लिए, यथास्थिति, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य ने, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है, वह पद धारण किया हुआ होता ।

पुन:नियोजन का निर्बंधन ।

45च. प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पद में न रहने पर, दो वर्ष की अवधि तक के लिए किसी सहकारी सोसाइटी में कोई नियोजन (जिसमें परामर्शी या अन्यथा भी है) स्वीकार नहीं करेगा :

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केंद्रीय सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार में या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) के अधीन यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी नियोजन पर लागू नहीं होगी ।

2013 का 18

प्राधिकरण की कार्यवाहियों का रिक्तियों आदि के कारण अविधिमान्य न होना ।

45छ. प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या कोई त्रुटि है ;

(ख) प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) प्राधिकरण की कार्यवाही में ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

प्राधिकरण के अधिवेशन ।

45ज. (1) प्राधिकरण, ऐसे स्थानों पर और ऐसे समयों पर, अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत उसके अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं ।

(2) प्राधिकरण का अध्यक्ष, प्राधिकरण के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा

और यदि किसी कारणवश प्राधिकरण का अध्यक्ष, प्राधिकरण के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

(3) ऐसे सभी प्रश्न, जो प्राधिकरण के किसी अधिवेशन के समक्ष उत्पन्न होते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के मतों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्षता करने वाले प्राधिकरण के अध्यक्ष या प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को निर्णायक मत का प्रयोग करने का अधिकार होगा ।

(4) उपधारा (1) में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा ।

प्राधिकरण के कृत्य ।

45झ. प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

(i) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के निर्वाचनों का संचालन ;

(ii) निर्वाचक नामावलियों के तैयार करने से संबंधित मामलों का पर्यवेक्षण, निदेशन और उनका नियंत्रण ; और

(iii) ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किए जाएं ।

बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन ।

45ञ. (1) कोई व्यक्ति बोर्ड के सदस्य या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के पदधारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक वह उस सोसाइटी के साधारण निकाय का सक्रिय सदस्य नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "सक्रिय सदस्य" पद से कोई ऐसा सदस्य अभिप्रेत होगा, जो—

(i) सोसाइटी की सेवाओं या उत्पादों के न्यूनतम स्तर का उपभोग कर रहा है ; या

(ii) कम से कम तीन लगातार सामान्य अधिवेशनों में उपस्थित हो रहा है ।

(2) बोर्ड का कोई सदस्य या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का पदधारी ऐसा सदस्य या पदधारी नहीं रहेगा, यदि वह उस सोसाइटी के साधारण निकाय का सदस्य नहीं रह जाता है ।

(3) बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतपत्र द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा ।

(4) बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्यों के साधारण अधिवेशन में किया जाएगा और बोर्ड के निर्वाचित सदस्य यदि ऐसी सोसाइटी की उपविधियां अनुज्ञात करें तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे ।

(5) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की पदावधि निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष होगी तथा पदाधिकारियों की पदावधि बोर्ड की पदावधि के साथ समाप्त हो जाएगी :

परंतु बोर्ड, बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के एक तिहाई सदस्यो की आकस्मिक रिक्तियों को सदस्यों के उस वर्ग में से नामनिर्देशन द्वारा भर सकेगा जिसके

संबंध में आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई है, यदि बोर्ड की पदावधि उसकी मूल पदावधि में से आधे से कम है :

परंतु यह और कि यदि बोर्ड की उसी पदावधि में ऐसी आकस्मिक रिक्तियों की संख्या के निर्वाचित निदेशकों के एक-तिहाई से अधिक होने की दशा में ऐसी रिक्तियों को निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा ।

(6) प्राधिकरण द्वारा निर्वाचन कराने के लिए व्यय बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वहन किया जाएगा ।

(7) केंद्रीय सरकार, बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन के संचालन के लिए शक्तियों का उपबंध करने और प्राधिकरण द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया के लिए नियम बना सकेगी ।

(8) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक, निर्वाचनों का समय के भीतर संचालन करने के लिए प्राधिकरण को विद्यमान बोर्ड की अवधि की समाप्ति से छह मास पूर्व सूचित करेगा ।

(9) ऐसी सोसाइटी, जिसके संबंध में निर्वाचन कराया जा रहा है, प्राधिकरण को ऐसी अवसंरचना, कार्मिक, सूचना, दस्तावेज या अन्य सहायता उपलब्ध कराएगी, जिनकी वह अपेक्षा करे ।

रिटर्निंग आफिसर और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति ।

45ट. (1) प्राधिकरण, बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन संचालित करने के लिए रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति कर सकेगा और ऐसे कृत्यों का, जिनका प्राधिकरण द्वारा निदेश दिया जाए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निर्वहन कर सकेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण को ऐसे कर्मचारिवृंद और अधिकारी उपलब्ध कराएगी, जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।

(3) प्राधिकरण,—

(क) ऐसे संप्रेक्षकों की नियुक्ति कर सकेगा, जो वह निर्वाचनों का पर्यवेक्षण करने और ऐसे कृत्यों, जो विहित किए जाएं, का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे ;

(ख) सहायक रिटर्निंग आफिसरों की उतनी संख्या में नियुक्ति कर सकेगा, जो वह रिटर्निंग आफिसर की सहायता करने के लिए आवश्यक समझे ।

निदेश जारी करने की शक्ति ।

45ठ. प्राधिकरण सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, बोर्ड को, इसके सदस्यों, सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक और अन्य कर्मचारिवृंद को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के लिए आवश्यक हों और बोर्ड, इसके सदस्य, सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक और कर्मचारिवृंद ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे ।"।

धारा 49 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :—

"(कक) प्राधिकरण के निदेश के अनुसार बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों में से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या सभापति और उप सभापति का निर्वाचन करना :

परंतु निर्वाचन का प्रमाणपत्र बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक द्वारा बोर्ड द्वारा संकल्प पर सहमति होने के पश्चात् जारी किया जाएगा ;";

(ii) खंड (ङ) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसे कर्मचारियों की भर्ती, ऐसी प्रक्रिया के अधीन रहते हुए होगी, जो विहित की जाए ।"।

धारा 50 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 50 में,—

(क) उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु जहां ऐसा अध्यक्ष या सभापति मुख्य कार्यपालक को बोर्ड की तिमाही के भीतर बैठक आयोजित करने के लिए निदेश देने में असफल रहता है तो ऐसा मुख्य कार्यपालक बोर्ड के उप सभापति या उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की अध्यपेक्षा के आधार पर बैठक आयोजित करेगा :

परंतु यह और कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य कार्यपालक बोर्ड के कम से कम पचास प्रतिशत सदस्यों की अध्यपेक्षा के आधार पर बैठक आयोजित कर सकेगा ।"।

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) सभापति या अध्यक्ष, यदि किसी कारण से बोर्ड की बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं तो उपाध्यक्ष या उप सभापति और दोनों की अनुपस्थिति में बोर्ड के उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से चुना गया बोर्ड का कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(4) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के निदेशक बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति इसके निर्वाचित निदेशकों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी ।"।

धारा 51 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 51 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1अ) कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, ऐसे मुख्य कार्यपालक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करेगी या उसके नियोजन को जारी नहीं रखेगी, जो,—

(क) इक्कीस वर्ष से कम आयु का है या जिसने सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है :

परंतु सत्तर वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति, बोर्ड के तीन-चौथाई

सदस्यों द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा उस दशा में नियुक्त किया जा सकेगा, जिस दशा में ऐसे प्रस्ताव के लिए सूचना से उपाबद्ध स्पष्टीकारक विवरण ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए औचित्य को उपदर्शित करेगा ;

(ख) जो अननुमोचित दिवालिया है या किसी भी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ;

(ग) किसी न्यायालय द्वारा किसी भी समय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है और छह मास से अधिक की अवधि के लिए दंडादिष्ट किया गया है ।"।

(घ) बहुराज्यीय प्रत्यय सोसाइटियों की दशा में केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा यथा अवधारित 'ठीक और समुचित' के मानदंड को पूरा नहीं करता है ; या गैर बहुराज्य प्रत्यय सोसाइटियों की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा शैक्षणिक अर्हताओं और सुसंगत अनुभव के निबंधनों में विहित किए जाने वाले मानदंड को पूरा नहीं करती है ।

धारा 52 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 52 के खंड (ञ) में, "तीस दिन" शब्दों के स्थान पर, "पैंतालीस दिन" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 53 का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) बोर्ड, एक कार्यकारी समिति और ऐसी अन्य समितियों या उपसमितियों का गठन कर सकेगा, जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

परंतु बोर्ड,—

(क) उपविधियों के अनुसार एक संपरीक्षा और आचार समिति का गठन करेगा ;

(ख) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण संबंधी समिति का गठन करेगा ।"।

धारा 63 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली सहकारी शिक्षा निधि में शुद्ध लाभ का एक प्रतिशत प्रत्यय वार्षिक रूप से ऐसी रीति में जमा करेगी जो विहित की जाए और ऐसी निधि से प्राप्त आगम भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और ऐसे किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए उपयोग किए जाएंगे ;"।

नई धारा 63क, धारा 63ख और धारा 63ग का अंत:स्थापन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 63 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

'63क. (1) केन्द्रीय सरकार धारा 63ख में यथानिर्दिष्ट रुग्ण बहु राज्यीय सरकारी सोसाइटियों के पुनरुद्धार के लिए और विकास प्रयोजनों के लिए सहकारी पुनर्वास, पुनर्गठन और विकास निधि नामक एक निधि का ऐसी रीति में, जो उसके द्वारा अवधारित की जाए, गठन करेगी और ऐसी निधि में ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों द्वारा, जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों से लाभ अर्जित कर रही है, एक करोड़ रुपए या ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के शुद्ध लाभ का एक प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हों, वार्षिक रूप से जमा करेगी । सहकारी पुनर्वास, पुनःसन्निर्माण और विकास निधि की स्थापना ।

(2) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक समिति का गठन करेगी, जो ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो वह निधि का प्रशासन करने के लिए ठीक समझे और निधि के संबंध में पृथक् लेखों और अन्य सुसंगत अभिलेखों को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से ऐसे प्ररूप में रखेगी, जो विहित किया जाए ।

(3) समिति, उन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए, जिनके लिए ऐसी निधि की स्थापना की गई है, निधि में से धन खर्च करेगी ।

63ख. (1) यदि किसी समय केंद्रीय रजिस्ट्रार की यह राय है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी रुग्ण हो गई है, तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी सोसाइटी को रुग्ण सोसाइटी घोषित कर सकेगा । रुग्ण सोसाइटियों का पुनरुज्जीवन ।

(2) जहां किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को उपधारा (1) के अधीन रुग्ण सहकारी सोसाइटी घोषित किया जाता है, वहां केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या अभिकरण सोसाइटी के सुधार और पुनर्गठन के लिए एक स्कीम तैयार कर सकेगी/सकेगा और उसे साधारण सभा में अनुमोदन के लिए सोसाइटी को सौंप सकेगी/सकेगा ।

(3) केंद्रीय सरकार, साधारण सभा की सिफारिश पर और उपधारा (2) में निर्दिष्ट सुधार और पुनर्गठन संबंधी स्कीम को प्रभावी रूप देने के लिए, ऐसी सोसाइटी के बोर्ड का ऐसे व्यक्तियों के साथ पुनर्गठन कर सकेगी, जिसके पास सहकारिता, प्रबंध, वित्त, लेखांकन और ऐसी सोसाइटी से संबंधित ऐसे किसी अन्य क्षेत्र में, जिसकी साधारण सभा द्वारा सिफारिश की जाए, अनुभव हो :

परंतु रुग्ण सहकारी बैंक के संबंध में, सुधार या पुनर्गठन संबंधी कोई स्कीम रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से बनाई जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "रुग्ण सहकारी सोसाइटी" से ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है, जिसकी किसी वित्तीय वर्ष के अंत में, उसकी समादत्त पूंजी, मुक्त आरक्षितियों और अधिशेषों के बराबर या उससे अधिक संचयित हानि है और उसने ऐसे वित्तीय वर्ष और ऐसे वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद के रूप में हानियां भी उठाई है ।

63ग. (1) केंद्रीय सरकार, किसी ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा किए गए आवेदन पर, जिसने निरंतर पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए निधि में अभिदाय किया है, जो वह अवसंरचनात्मक अपेक्षा के लिए निधि में से सोसाइटी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को विकास के लिए वित्तीय सहायता ।

के लिए ऐसी वित्तीय सहायता मंजूर कर सकेगी, जो वह उचित समझे :

परंतु कुल अपेक्षा का कम से कम पचास प्रतिशत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा वहन किया जाएगा और निधि से वित्तीय सहायता ऐसी अपेक्षा के पचास प्रतिशत से अधिक की नहीं होगी :

(2) धारा 63क की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के उस सीमा तक और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह आवश्यक समझे, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समीक्षा करेगी और केंद्रीय सरकार को इसकी सिफारिश करेगी ।'।

धारा 64 का संशोधन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 64 में,—

(i) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, सरकारी निगम, सरकारी कंपनियां, प्राधिकरणों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों या सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा सुनिश्चित की गई किसी अन्य प्रतिभूतियों में से किसी में ;";

(ii) खंड (घ) में "किसी सहायक संस्था या किसी अन्य संस्था" शब्दों से पहले "बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कारबार की उसी श्रेणी में" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ङ) और (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) किसी अन्य अधिसूचित या राष्ट्रीयकृत बैंक में ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति,—

(i) "अनुसूचित बैंक" का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (ङ) में है ; 1934 का 2

(ii) "राष्ट्रीयकृत बैंक" से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित तत्स्थानी नए बैंक अभिप्रेत है; या 1970 का 5 1980 का 40

(च) किसी अन्य रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए ।"।

धारा 67 का संशोधन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 67 में, उपधारा (1) के पहले परंतुक में "दस गुणा" शब्दों के स्थान पर "ऐसे गुणकों से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 70 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 70 में,—

(क) उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएँगे, अर्थात् :—

'परंतु ऐसे संपरीक्षक या संपरीक्षा करने वाली फर्म केन्द्रीय रजिस्ट्रार

द्वारा अनुमोदित पैनल से नियुक्त किए जाएंगे:

परंतु यह और कि पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक के निक्षेपों वाले बहुराज्य सहकारी बैंकों, बहुराज्य प्रत्यय सहकारी सोसाईटियों और पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक की आवर्त वाली बहुराज्य गैर-पत्यय सोसाइटियों की दशा में, संपरीक्षक केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी सोसाइटियों की संपरीक्षा के लिए अनुमोदित संपरीक्षकों के एक पैनल से नियुक्त किया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3क) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त संपरीक्षक ऐसे वितीय वर्ष जिससे ऐसे लेखे संबंधित है, के समाप्त होने की तारीख से छह मास के भीतर बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।";

(ग) उपधारा (7) के खंड (क) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां ऐसी रिक्ति किसी संपरीक्षक के त्याग पत्र से या मृत्यु के कारण कारित हुई है, वहां वह रिक्ति बोर्ड द्वारा, संपरीक्षकों के ऐसे पैनल से जिससे ऐसे संपरीक्षक की नियुक्ति की गई थी, भरी जाएगी ।"।

(घ) उपधारा (9) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के तद्धीन, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी :—

"(10) राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी के लेखा की संपरीक्षा रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।"।

नई धारा 70 क का अंतःस्थापन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 70 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

समवर्ती संपरीक्षा ।

"70क. बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों की दशा में,—

(i) जिनकी वार्षिक आवर्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की गई रकम से अधिक है ; या

(ii) जिनका निक्षेप केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअवधारित की गई रकम से अधिक है,

समवर्ती संपरीक्षा केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों के एक पैनल से नियुक्त किए गए किसी संपरीक्षक द्वारा की जाएगी ।"।

धारा 73 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 73 में, उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6) यथास्थिति, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का वर्ग ऐसी संपरीक्षा और लेखांकन मानकों को अपनाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं :

परंतु ऐसे संपरीक्षा और लेखांकन मानक अधिकथित किए जाने तक, चार्टर्ड अकाऊंटैंट अधिनियम, 1949 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा गठित भारतीय

1949 का 38

चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए संपरीक्षा मानकों को लेखा और संपरीक्षा मानक समझा जाएगा :

परंतु यह और कि बहुराज्य सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक द्वारा अधिकथित लेखा और संपरीक्षा मानकों को, यदि कोई हों, अपनाएंगे ।"।

धारा 78 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 78 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) यदि केंद्रीय रजिस्ट्रार का उसके पास उपलब्ध या सरकारी अभिकरण द्वारा उसे प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कारबार किसी कपटपूर्ण या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, तो वह बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को उसके विरूद्ध किए गए अभिकथनों के बारे में जानकारी देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसे आदेश में अन्तर्विष्ट सोसाइटी के बोर्ड के पृष्ठांकन के साथ मामलों के संबंध में लिखित में कोई जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगा :

परंतु यदि केन्द्रीय रजिस्ट्रार का सोसाइटी के स्पष्टीकरण से समाधान नहीं होता है तो वह स्वंय या उसके द्वारा प्राधिकृत कार्यालय या अभिकरण के माध्यम से सोसाइटी के गठन, कार्यप्रणाली और वित्तीय स्थिति की जांच करेगा ।

(1ख) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय रजिस्ट्रार, चाहे तो स्वप्रेरणा से या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या अभिकरण के माध्यम से, ऐसी अवधि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए में एक बार, किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के गठन, कार्यप्रणाली और वित्तीय स्थिति की जांच करेगा ।"।

नए अध्याय 9क का अंतःस्थापन ।

31. मूल अधिनियम के अध्याय 9 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अध्याय 9क

शिकायतों का समाधान

सहकारी ऑम्बुड्समैन ।

85क. (1) केंद्रीय सरकार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों के संबंध में, उनके निक्षेपों, सोसाइटी के कार्यकरण के साम्यापूर्ण फायदों या संबंधित सदस्य के वैयक्तिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी अन्य मुद्दे के संबंध में उसके द्वारा की गई शिकायतों के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता वाले एक या अधिक सहकारी ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति ऐसी रीति में कर सकेगी, जो विहित की जाए ।

(2) सहकारी ऑम्बुड्समैन, शिकायत की प्राप्ति पर, शिकायत की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर जांच और अधिनिर्णयन की प्रक्रिया पूर्ण करेगा और जांच के दौरान सोसाइटी को आवश्यक निदेश जारी कर सकेगा और सोसाइटी ऐसे निदेशों के जारीकरण की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी ।

(3) ऑम्बुड्समैन के किसी निदेश द्वारा व्यथित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी केन्द्रीय रजिस्ट्रार के समक्ष एक मास की अवधि के भीतर, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अपील फाइल कर सकेगी जो अपील का पैतालीस दिनों की अवधि के भीतर विनिश्चय करेगा और केन्द्रीय रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा:

परंतु केन्द्रीय रजिस्ट्रार एक मास की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि सोसाइटी समय पर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण द्वारा निवारित हुई थी ।

(4) ऑम्बुड्समैन, सहकारी सोसाइटियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(5) सहकारी ऑम्बुड्समैन, उपधारा (1) के अधीन जांच करते समय, निम्नलिखित के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं,— 1908 का 5

(क) व्यक्तियों को समन करने और उनको हाजिर कराने ;

(ख) शपथ पर उनकी परीक्षा करने ;

(ग) लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों के प्रकटीकरण और उन्हें प्रस्तुत करने ; और

(घ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।"।

धारा 86 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 86 में,—

(क) उपधारा (1) में "धारा 79" शब्द और अंकों के पश्चात्, "या धारा 108" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) यथास्थिति, सदस्यों की संख्या या सोसाइटियों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या, धारा 6 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट सदस्यों या सोसाइटियों या व्यक्तियों की संख्या से किसी भी समय कम हो गई है :

परंतु बहुराज्य सोसाइटी को सदस्यों या सोसाइटियों या व्यक्तियों की संख्या को अपेक्षित संख्या में प्रत्यावर्तन करने के लिए छह मास का समय दिया जाएगा ;";

(ii) खंड (ख) में "सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार कृत्य करना बन्द कर दिया है ;" शब्दों के स्थान पर, "सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार कृत्य करना बन्द कर दिया है ; या" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) जहां केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का

कारण है कि रजिस्ट्रीकरण तथ्यों के दुर्व्यपदेशन, मिथ्या या भ्रामक सूचना प्रस्तुत करके, तात्विक तथ्यों को छिपाकर या कपट जिसके परिणामस्वरूप सहकारिता की भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा से प्राप्त किया गया था ।"।

(ग) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बहुराज्य सहकारी बैंक के परिसमापन की दशा में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध भी लागू होंगे ।"। 1949 का 10

(घ) उपधारा (6) में, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु परिसमापन के पूर्व, सोसाइटी से बकाया ऋण वाले संस्थागत उधारदाताओं से अनापत्ति, लिखित रूप में अपेक्षित होगी ।

स्पष्टीकरण—इस परंतुक के प्रयोजन के लिए "संस्थागत उधारदाताओं" अभिव्यक्ति के अंतर्गत बैंक, बचत और ऋण संगम, न्यास कंपनी, बीमा कंपनी, भू-संपदा विनिधान न्यास, पेंशन निधि और वैसी ही चीजें भी हैं ।'।

धारा 94 का संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 94 के आरंभिक पैरा में, "धारा 83 या" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "धारा 84 या" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 98 का संशोधन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 98 में, उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) केन्द्रीय रजिस्ट्रार को व्यतिक्रमी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के बैंक लेखाओं को कुर्की कर निम्नलिखित शोध्यों की वसूली करने की शक्ति भी होगी—

(क) धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सहकारी शिक्षा निधि ; या

(ख) धारा 63क के अधीन गठित सहकारी पुनर्वास, पुनर्गठन और विकास निधि ; और

(ग) निर्वाचनों के संचालन के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा उपगत व्यय ।"।

नई धारा 98क का अंत:स्थापन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 98 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विनिश्चय का पुनर्विलोकन ।

"98क. केंद्रीय रजिस्ट्रार, किसी पक्षकार से आवेदन की प्राप्ति पर, धारा 94 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करेगा :

परंतु केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या परिसमापक द्वारा जारी किए गए वसूली

प्रमाणपत्र के विरुद्ध कोई पुनर्विलोकन का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक आवेदक संबंधित सोसाइटी को वसूलीय शोध्य की रकम का पचास प्रतिशत जमा नहीं कर देता है :

परंतु यह और कि पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि वह विनिश्चय या आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के पश्चात् किया जाता है :

परंतु यह भी कि केंद्रीय रजिस्ट्रार, ऐसा कोई आवेदन ऐसी अवधि के पश्चात् तब ग्रहण कर सकेगा, जब आवेदक उसका यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर आवेदन नहीं करने का पर्याप्त कारण था ।"।

धारा 103 का संशोधन ।

36. मूल अधिनियम की धारा 103 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु सभी उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा उक्त बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को उनके उद्देश्यों, सेवाओं और सदस्यों को ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संबंधित राज्यों तक परिरूद्ध करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों में विभाजित या पुनर्गठन करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की दशा में, ऐसी सोसाइटी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नहीं समझी जाएगी :

परंतु यह और कि पहले परंतुक में वर्णित से भिन्न समझी गई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगी और केंद्रीय रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी ।"।

धारा 104 का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 104 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "मिथ्या विवरणी देगा" शब्दों के पश्चात्, "या विवरणियां फाइल करने में असफल रहेगा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) "दस हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में,—

(i) "धारा 89 के अधीन हकदार किसी व्यक्ति को" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 120 के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति को" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपए" शब्द

रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (4) में,—

(i) खंड (ज) में "किसी व्यक्ति किसी दान की प्रस्थापना करेगा या परितोषण की प्रस्थापना करने का वचन देगा" शब्दों के पश्चात् "या ऐसे दान, वचन या परितोषण को प्राप्त करेगा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ज) के उपखंड (iii) के पश्चात् होने वाली, लंबी पंक्ति में "या दोनों से दंडनीय होगा" शब्दों के पश्चात् "और तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचनों को लड़ने से विवर्जित भी किया जाएगा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ङ) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5) जहां कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी,—

(क) जिससे निरीक्षण, जांच या अन्वेषण के दौरान स्पष्टीकरण देना या कथन करना अपेक्षित है, संपत्ति, आस्तियों या सोसाइटी के क्रियाकलापों से संबंधित किसी दस्तावेज को नष्ट करती है, विद्रुपित करती है या मिथ्या बनाती है या उसे छुपाती है अथवा उससे छेड़छाड़ करती है या अनाधिकृत रूप से उसे हटाती है अथवा उसे नष्ट करवाती है, विद्रुपित करवाती है या मिथ्या बनवाती है या उसे छुपवाती है या उससे छेड़छाड़ करवाती है या अनाधिकृत रूप से उसे हटवाती है ; या

(ख) धारा 64 अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियों के उपबंधों के उल्लंघन में कोई विनिधान करती है ; या

(ग) सोसाइटी की आस्तियों और संपत्ति में अवैध अभिलाभ करती है ; या

(घ) जमाकर्ता को अवैध हानि करती है,

तो बहुराज्य सोसाइटी का निदेशक बोर्ड या उत्तरदायी अधिकारी, ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होंगे, जो एक मास से कम नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम न होगा, किंतु एक लाख रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होंगे ।"।

(6) जहां बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के निदेशक बोर्ड या अधिकारी ऐसी सोसाइटी से संबंधित मामलों का संव्यवहार करते समय कोई विधिविरुद्ध अभिलाभ प्राप्त करते हैं या व्यक्तिगत विधिविरुद्ध अभिलाभ के लिए सोसाइटी की किसी आस्ति का उपयोग करते हैं, ऐसे निदेशक या संबंधित अधिकारी ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होंगे, जो एक मास से कम नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक हो सकेगी या जुमाने से जो पांच हजार रुपए से कम न होगा, किंतु एक लाख रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होंगे और ऐसे विधिविरुद्ध अभिलाभ के आगम, ऐसी रीति में

जो विहित की जाए, उनसे वसूल और निक्षेपित किए जाएंगे ।

नई धारा 105क का अंत:स्थापन ।

38. मूल अधिनियम की धारा 105 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

इस अधिनियम के उपबंधों का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना ।

"105क. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त, न कि उसके अल्पीकरण में होंगे ।"।

धारा 106 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

39. मूल अधिनियम की धारा 106 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति ।

"106. (1) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी के सदस्यों को, सोसाइटी के मामलों और प्रबंधन से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए, एक सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति करेगी और ऐसी सूचना सोसाइटी द्वारा इसकी उपविधियों में विनिर्दिष्ट प्रकटन मानदंडों के अधीन आने वाली सूचना तक सीमित होगी ।

(2) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए, ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, आवेदन करेगा ।

(3) सहकारी सूचना अधिकारी, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या तो सूचना प्रदान करेगा या अस्वीकार करने के कारण विनिर्दिष्ट करते हुए उसे अस्वीकार करेगा ।

(4) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य जिसका आवेदन नामंजूर कर दिया गया सहकारी ऑम्बुड्समैन को ऐसी नामंजूरी की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम और बाध्य होगा ।

निरीक्षण के लिए नियमों और उपविधियों की प्रति ।

106क. प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी मुख्य कार्यपालक, नियमों और इसकी उपविधियों की एक प्रति तथा इसके सदस्यों की एक सूची, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत पते पर सभी सुसंगत समयों पर, किसी प्रभार के बिना, निरीक्षण के लिए रखेगी ।"।

धारा 108 का संशोधन ।

40. मूल अधिनियम की धारा 108 की उपधारा (1) के खंड (i) में, "केंद्रीय रजिस्ट्रार" शब्दों के पश्चात्, "या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति जो सहायक आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो या समतुल्य" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 116 का संशोधन ।

41. मूल अधिनियम की धारा 116 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति ।";

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची और तीसरी अनुसूची को संशोधित कर सकती है और तत्पश्चात् ऐसी अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जाएगी :

परंतु पहली अनुसूची की दशा में, ऐसी अधिसूचना का उपयोग केवल सूची में सहकारी सिद्धांतो को जोड़ने के लिए किया जाएगा ।"।

(iii) उपधारा (2) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उपधारा (1) और उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 120 का संशोधन ।

42. मूल अधिनियम की धारा 120 में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) क्रियाकलापों, जिनमें बोर्ड के ऐसे विनिश्चय जिन पर सर्वसम्मति नहीं बनी थी, के ब्यौरे भी हैं, की वार्षिक रिपोर्ट ;";

(ii) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(च) ऐसे कर्मचारियों के बारे में प्रकटन जो बोर्ड के सदस्यों के नातेदार हैं ;

(छ) निदेशक बोर्ड द्वारा किसी संबंधित पक्षकार संव्यवहारों की घोषणा;

(ज) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना ।"।

नई धारा 120क और धारा 120ख का अंतःस्थापन ।

43. मूल अधिनियम की धारा 120 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदनों, दस्तावेजों का फाइल किया जाना और निरीक्षण आदि किया जाना ।

"120क. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार, ऐसी तारीख से, जो विहित की जाए, यह अपेक्षा कर सकेगी कि— 2000 का 21

(क) ऐसे आवेदन, तुलनपत्र, विवरणी या कोई अन्य विशिष्टियां और दस्तावेज, जिनका इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल या परिदत्त किया जाना अपेक्षित हो, इलैक्ट्रानिक रूप में फाइल अधिप्रमाणित किए जाएंगे ;

(ख) ऐसा दस्तावेज, सूचना, कोई संसूचना या सूचना, जिसका इस अधिनियम के अधीन तामील या परिदान किया जाना अपेक्षित हो, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप में तामील या परिदत्त और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित किया जाएगा ;

(ग) ऐसे आवेदन, तुलनपत्र, विवरणियां, रजिस्टर, उपविधियां या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल की गई कोई अन्य विशिष्टियां या दस्तावेज और विवरणियां केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप में रखी जाएंगी, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत या अधिप्रमाणित की जाएंगी ;

(घ) इलैक्ट्रानिक रूप में रखी गई उपविधियों, तुलनपत्रों, विवरणियों या किन्हीं अन्य विशिष्टियों अथवा दस्तावेजों का, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन निरीक्षण के लिए अन्यथा उपलब्ध हों, ऐसा निरीक्षण किसी व्यक्ति द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप के माध्यम से किया जा सकेगा ; और

(ङ) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय ऐसी फीसों, प्रभारों या अन्य राशियों को इलैक्ट्रानिक रूप के माध्यम से संदत्त किया जाएगा ।

(2) केंद्रीय रजिस्ट्रार,—

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा ;

(ख) उपविधियों के संशोधन को रजिस्टर करेगा ;

(ग) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में परिवर्तन को रजिस्टर करेगा ;

(घ) किसी दस्तावेज को रजिस्टर करेगा ;

(ङ) किसी प्रमाणपत्र को जारी करेगा ;

(च) सूचना को जारी करेगा ; और

(छ) ऐसी संसूचना को प्राप्त करेगा,

जिनका इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या जारी या अभिलिखित या प्राप्त किया जाना अपेक्षित हो अथवा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन कर्तव्यों का पालन या कृत्यों का निर्वहन या शक्तियों का प्रयोग करेगा अथवा ऐसा कोई कार्य करेगा, जिसको केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप में या ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पालन या निर्वहन या प्रयोग किया जाना या करना इस अधिनियम के अधीन निदेशित किया गया है ।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का लागू होना ।

120ख. इस अधिनियम के उपबंध, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के निगमन, विनियमन और परिसमापन से संबंधित विषयों के संबंध में लागू होंगे :

1949 का 10

परंतु बैंककारी कारबार करने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की दशा में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध भी लागू होंगे ।

धारा 121 का संशोधन ।

44. मूल अधिनियम की धारा 121 में,—

1956 का 1
1969 का 54
2013 का 18
2003 का 12

(i) उपधारा (1) में, "कंपनी अधिनियम, 1956 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "कंपनी अधिनियम, 2013 और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002" शब्द और अंक रखे

जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, "एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में परिभाषित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में निर्दिष्ट एकाधिकार क्रियाकलाप" शब्द और अंक रखे जाएंगे । 1969 का 54 2003 का 12

धारा 123 का संशोधन ।

45. मूल अधिनियम की धारा 123 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) "या उसने कोई ऐसा कार्य किया है" से आरंभ होने वाले और "जिसकी कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी", से अंत होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

"या उसने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके अंतर्गत कपट, मिथ्या दुर्विनियोग और उसी तरह के कार्य शामिल हैं जो सोसाइटी के या उसके सदस्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है या उसने धारा 122 के अधीन लोक हित में उसे दिए गए किन्हीं निदेशों का अनुपालन करने में लोप किया है या असफल रहा है या बोर्ड के गठन या कृत्य करने में गत्यावरोध आ गया है या सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्वाचनों को संचालित करने में असफल रहा है तो केन्द्रीय सरकार, बोर्ड को अपने आक्षेपों का, यदि कोई हो, कथन करने का अवसर देने के पश्चात् और आक्षेपों पर, यदि प्राप्त हो, विचार करने पर लिखित आदेश द्वारा, बोर्ड को अतिष्ठित या निलंबित कर सकेगी और ऐसे एक या अधिक प्रशासकों को जिनका सोसाइटी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है जिनको ऐसी अवधि के लिए जो छह मास से अनधिक होगी, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।";

(ख विद्यामान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि निर्वाचन कराने में असफलता के आधार पर किसी अधिक्रमण या निलंबन के लिए विनिश्चय करते समय, ऐसी कार्रवाई केवल तभी की जाएगी यदि बोर्ड ने धारा 45 के उपबंधों के अनुसार समय-सीमा के भीतर सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को निर्वाचन कराने की अध्यपेक्षा न दी हो या आवश्यक सहायता प्रदान न की हो ।"।

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—धारा 122 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट बहुराज्य सहकारी सोसाइटी" पद से कोई बहुराज्य सहकारी

सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसमें सरकारी शेयरधारिता है या सरकार द्वारा लिया गया कोई ऋण या दी गई वितीय सहायता अथवा कोई प्रतिभूति है ।'।

धारा 124 का संशोधन ।

46. मूल अधिनियम की धारा 124 में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांत ;";

(ii) खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ञक) वह रीति जिसमें बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का बोर्ड धारा 43 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निर्वाचन संचालित करने के लिए सूचना, दस्तावेज, कार्मिक, निधियां या व्ययों या सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा चाही गई कोई अन्य सहायता प्रदान की जाएगी ;";

(iii) खंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ट) धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की संरचना;

(टक) धारा 45 की उपधारा (3) के खंड (iii) के अधीन प्राधिकरण के सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव ;

(टख) धारा 45 उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्राधिकरण के सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(टग) धारा 45क के अधीन अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य ;

(टघ) धारा 45ख की उपधारा (2) के अधीन जांच की प्रक्रिया ;

(टङ) धारा 45ज की उपधारा (1) के अधीन इसकी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्राधिकरण द्वारा पालन किए जाने वाला समय, स्थान और प्रक्रिया;

(टच) धारा 45झ के खंड (3) के अधीन प्राधिकरण के अन्य कृत्य ;

(टछ) धारा 45ञ की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन की रीति ;

(टज) धारा 45 (ञ) की उपधारा (6) के अधीन प्राधिकरण द्वारा निर्वाचन करने के लिए व्यय वहन करने की रीति ;

(टझ) धारा 45ट की उपधारा (1) और उपधारा (3) के खंड (क)

अधीन रिटर्निंग आफिसरों और पर्यवेक्षकों द्वारा कृत्य के निर्वहन की रीति ;

(टज) धारा 45ट की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन प्रर्यवेक्षकों के अन्य कृत्य ;";

(iv) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(डक) धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के परंतुक के अधीन कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रक्रिया ;" ;

(v) खंड (ण) का लोप किया जाएगा ;

(vi) खंड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(थक) धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निधि के अनुरक्षण की रीति ;";

(vii) खंड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(धक) धारा 85क की उपधारा (1) के अधीन सहकारी ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति की और ऐसे ऑम्बुड्समैन को शिकायत प्रस्तुत करने की रीति ;

(धख) धारा 85क की उपधारा (3) के अधीन ऑम्बुड्समैन के निदेशों के विरुद्ध सोसाइटी द्वारा अपील फाइल करने की रीति ;

(धग) धारा 85क की उपधारा (5) के खंड (घ) के अधीन अन्य मामले" ;";

(viii) खंड (ब) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(बक) धारा 104 की उपधारा (6) के अधीन विधिविरुद्ध अभिलाभ की वसूली और उनके आगमों के निक्षेपों की रीति ;

(बख) धारा 106 की उपधारा (2) के अधीन सूचना प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी फीस से आवेदन करने की रीति ;";

(ix) खंड (भ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(भक) धारा 120क की उपधारा (1) के अधीन इलैक्ट्रानिक प्ररूप में आवेदन, दस्तावेज और इसी प्रकार की चीजें फाइल करने से संबंधित मामलों की बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियों की रीति ;

(भख) धारा 120 (क) की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा इलैक्ट्रानिक प्ररूप में उसमें उल्लिखित मामलों की

बाबत कार्यों के निर्वहन या शक्तियों के प्रयोग की रीति ;";

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) धारा 116 के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम तथा जारी की गई कोई अधिसूचना, बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों मे पूरी हो सकेगी, यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाएं कि धारा 116 के अधीन बनाया गया नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तथा जारी की गई कोई अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो यथास्थिति, वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा ; किंतु धारा 116 के अधीन बनाए गए उस नियम या जारी की गई किसी अधिसूचना के परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"।

धारा 125 का संशोधन ।

47. मूल अधिनियम की धारा 125 में उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022 के द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंधो को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु ऐसा कोई आदेश, इस धारा के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।"।

तीसरी अनुसूची का अंत:स्थापन ।

48. मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"तीसरी अनुसूची

[धारा 43(1)(ज) और धारा 116(1क) देखिए]

क्रम सं.	अधिनियम का नाम	अधिनियम संख्यांक
(1)	भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 ;	1899 का 2
(2)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 ;	1934 का 2
(3)	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 ;	1944 का 1
(4)	उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 ;	1951 का 65
(5)	खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 ;	1954 का 37
(6)	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ;	1955 का 10
(7)	प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ;	1956 का 42
(8)	धन-कर अधिनियम, 1957 ;	1957 का 27
(9)	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ;	1962 का 52
(10)	इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 ;	1978 का 43
(11)	रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 ;	1986 का 1
(12)	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ;	1992 का 15
(13)	विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 ;	1992 का 22
(14)	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 ;	1999 का 42
(15)	प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ;	2003 का 12
(16)	धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 ;	2003 का 15
(17)	कंपनी अधिनियम, 2013	2013 का 18 ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (अधिनियम), ऐसी सहकारी सोसाइटियों से, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं और जो एक से अधिक राज्यों में सदस्यों का हितसाधन कर रही हैं, संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने, जन संस्थाओं के रूप में सहकारिताओं की स्वैच्छिक विरचना और लोकतांत्रिक कृत्यकरण को, जो स्वावलंबन और परस्पर सहायता पर आधारित हो, सुकर बनाने और सहकारी सोसाइटियों को आर्थिक और सामाजिक उन्नति के संवर्धन में समर्थ करने तथा कृत्यकारी स्वायत्तता प्रदान करने के लिए और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. संविधान में भाग 9ख, संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा अंत:स्थापित किया गया था । उक्त भाग को, अत:स्थापित करने की दृष्टि से, अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है । इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों में हुए परिवर्तन के कारण अधिनियम में अपेक्षित संशोधनों की आवश्यकता हुई है, जिससे बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों में सहकारी आंदोलन को मजबूत किया जा सके । अतः अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

3. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात् :—

(i) अधिनियम की धारा 41 का संशोधन करने के लिए, जिससे किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड की संरचना में सुधार किया जा सके ;

(ii) अधिनियम की धारा 45 के प्रतिस्थापन के लिए, जिससे "सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण" नामक एक प्राधिकरण की स्थापना की जा सके, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा । सहकारी क्षेत्र में निर्वाचन सुधार लाने की दृष्टि से उक्त प्राधिकरण की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है ;

(iii) "रुग्ण बहुराज्यीय सरकारी सोसाइटियों" के पुनरुद्धार के लिए "सहकारी पुनर्वास, पुनर्गठन और विकास निधि की स्थापना" से संबंधित नई धारा 63क अंत:स्थापित करने के लिए ;

(iv) ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों, जिनका वार्षिक आवर्त या जमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की गई रकम से अधिक है, के लिए "समवर्ती संपरीक्षा से संबंधित नई धारा 70क अंत:स्थापित करने के लिए ;

(v) "शिकायतों का समाधान" से संबंधित नया अध्याय 9क अंत:स्थापित करने के लिए और इस प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों की जांच करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता वाले एक या अधिक "सहकारी ऑम्बुड्समॅन" नियुक्त कर सकेगी ;

(vi) धारा 104 का संशोधन करने के लिए, जिससे इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए बहुराज्य सहकारी

सोसाइटियों पर आर्थिक शास्तियां बढ़ाई जा सकें ;

(vii) "सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति" से संबंधित धारा 106 को प्रतिस्थापित करने के लिए, जिससे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के मामलों और प्रबंधन से संबंधित सूचना, ऐसी सोसाइटी के सदस्यों को देने का उपबंध किया जा सके ; और

(viii) "आवेदनों, दस्तावेजों, विवरणियों, विवरणों, खाता विवरणों का इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किया जाना" से संबंधित नई धारा 120क का अंत:स्थापन करने के लिए ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
24 नवम्बर, 2022.

अमित शाह

खंडों पर टिप्पण

खंड 1–यह खंड प्रस्तावित विधान के "संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ" से संबंधित है ।

खंड 2–यह खंड बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (अधिनियम) धारा 3 का संशोधन करने के लिए है, जिससे "प्राधिकरण", "सहकारी ऑम्बुड्समैन" पदों को परिभाषित किया जा सके और "सहकारी रजिस्ट्रार" की परिभाषा का संशोधन किया जा सके ।

खंड 3–यह खंड अधिनियम की धारा 7 का संशोधन करने के लिए है जिससे ऐसे उपांतरणों और विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों वाले मितव्यय और प्रत्यय के ऐसे कारबार, जो उन्हें अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक हों, में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध किया जा सके ।

खंड 4–यह खंड धारा 10 का संशोधन करने के लिए है जो सोसाइटी के पते में ई-मेल पते को सम्मिलित करने के लिए है ।

खंड 5–यह खंड धारा 14 का संशोधन करने और इलैक्ट्रानिक मेल पते को सम्मिलित करने के लिए है, जिससे उन्हें अधिनियम की धारा 10 के अनुरूप किया जा सके ।

खंड 6–यह खंड अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है । राज्यस्तरीय सहकारी सोसाइटियों का, सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत के संकल्प द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के साथ स्वैच्छिक विलयन का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 7–यह खंड अधिनियम की धारा 19 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उक्त धारा की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड (iii) का लोप किया जा सके ।

खंड 8–यह खंड "सहकारी सोसाइटियों का बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में संपरिवर्तन" से संबंधित अधिनियम की धारा 22 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 9–यह खंड धारा 26 का संशोधन करने के लिए है यह उपरोक्त धारा में नाममात्र या सहयुक्त सदस्य को जारी अदत्त मत वाले शेयर का उपबंध करता है, जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को पूंजी बढ़ाने की अनुमति देता है और बहुराज्य सहकारी बैंक की दशा में, ऐसे शेयर समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार जारी किए जाएंगे ।

खंड 10–यह खंड धारा 28 का संशोधन करने के लिए है जिससे सदस्य अपने अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं कर सकते हैं, जब तक उन्होंने सदस्यता के संबंध में संदाय सहित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सभी बकायों का संदाय न कर दिया हो या ऐसी न्यूनतम स्तर के उत्पाद या सेवाओं, जो उपविधियों में यथा विनिर्दिष्ट हों, का उपभोग न कर लिया हो ।

खंड 11–यह खंड अधिनियम की धारा 29 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सोसाइटी द्वारा उसकी सभी उपविधियों में यथाविनिर्दिष्ट उपलब्ध कराए गए उत्पादों या सेवाओं के न्यूनतम स्तर का उपयोग करने में

असफलता, किसी व्यक्ति को सोसाइटी का सदस्य होने के लिए अपात्र बनाएगी ।

खंड 12–यह खंड अधिनियम की धारा 30 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सदस्य के रूप में पुन:प्रवेश हेतु पात्र होने के लिए समयावधि को सदस्य के निष्कासन की तारीख से एक से तीन वर्ष, जैसा उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए बढ़ाया जा सके ।

खंड 13–यह खंड अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सरकारी शेयरधारिता, सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना मोचित नहीं होगी । तथापि, ऐसा मोचन शेयरों के अंकित मूल्य पर होगा ।

खंड 14–यह खंड अधिनियम की धारा 39 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें "संपरीक्षक की नियुक्ति" से संबंधित एक नया खंड अंत:स्थापित किया जा सके ।

खंड 15–यह खंड अधिनियम की धारा 41 का संशोधन करने के लिए है जो सोसाइटी के बोर्ड में सहयोजित निदेशकों के लिए विशेषज्ञता का क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध करने के लिए, पूर्वोक्त धारा का संशोधन करता है । प्रस्तावित संशोधन इसे संविधान के अनुच्छेद 243यत्र के अनुरूप लाता है ।

खंड 16–यह खंड अधिनियम की धारा 43 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें उल्लिखित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के सदस्यों की निरर्हता के कारणों का उपबंध किया जा सके ।

खंड 17–यह खंड अधिनियम की धारा 45 के प्रतिस्थापन के लिए है, जिसे "सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण" नाम से जाना जाएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा । प्राधिकरण का मुख्य कृत्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचनों का संचालन कराना है । इस खंड के द्वारा नई धारा 45क से धारा 45ठ अंत:स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ।

खंड 18–यह खंड अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए है बोर्ड के निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से सोसाइटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए बोर्ड को सशक्त करके और बोर्ड के संकल्प की समाप्ति के पश्चात्, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक द्वारा निर्वाचन का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा । यह भी प्रस्तावित किया जाता है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कर्मचारियों की भर्ती इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन होंगी ।

खंड 19–यह खंड अधिनियम की धारा 50 का संशोधन करने के लिए है बोर्ड के अधिवेशन, मुख्य कार्यपालक द्वारा, बोर्ड के उपाध्यक्ष या उप सभापति या किसी अन्य सदस्य की अध्यपेक्षा के आधार पर बुलाने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 20–यह खंड अधिनियम की धारा 51 का संशोधन करने के लिए है जिससे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति के लिए मानदंड का उपबंध किया जा सके ।

खंड 21–यह खंड अधिनियम की धारा 52 का संशोधन करने के लिए है जो प्रारूप

वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने की अवधि को "तीस दिन" से बढ़ाकर, "पैंतालीस दिन" करने के लिए है ।

खंड 22–यह खंड अधिनियम की धारा 53 का संशोधन करने के लिए है कार्यकारी समिति और अन्य समितियों या उपसमितियों का गठन करने के लिए बोर्ड को सशक्त करता है ।

खंड 23–यह खंड अधिनियम की धारा 63 का संशोधन करने के लिए है जिससे उपबंध किया जा सके कि सहकारी शिक्षा निधि को केंद्रीय सरकार द्वारा रखा जाएगा और इसके आगमों का उपयोग सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और किसी अन्य अभिकरण, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, के माध्यम से किया जाएगा ।

खंड 24–यह खंड नई धारा 63क अंतःस्थापित करके सहकारी पुनर्वास और पुनर्गठन निधि की स्थापना का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 25–यह खंड अधिनियम की धारा 64 का संशोधन करने के लिए है । जो विनिधान के अन्य तरीकों को सम्मिलित करने के लिए है जहां बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विनिधान कर सकती है ।

खंड 26–यह खंड अधिनियम की धारा 67 का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी पर सीमा को "दस गुना" से प्रतिश्रुत शेयर पूंजी और संचित आरक्षितियों में से हानियों को घटाकर प्राप्त योग के "यथाअवधरित ऐसे गुणकों" में बदला जा सके ।

खंड 27–यह खंड अधिनियम की धारा 70 का संशोधन करने के लिए है, जो बहुराज्य सहकारी बैंकों, बहुराज्य प्रत्यय सहकारी सोसाइटियों और अन्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों से संपरीक्षकों के पैनल के लिए उपबंध करता है ।

खंड 28–यह खंड नई धारा 70क के अंतःस्थापन के लिए है, जिससे ऐसे बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के लिए समवर्ती संपरीक्षा, जिनका वार्षिक आवर्त या निक्षेप केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअवधारित की गई रकम से अधिक है और केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों के पैनल से कराई जा सके ।

खंड 29–यह खंड धारा 73 का संशोधन करने के लिए है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअवधारित संपरीक्षा और लेखा मानकों को अधिकथित करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 30–यह खंड धारा 78 का संशोधन करने के लिए है, जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार को सोसाइटी की किसी जानकारी या स्पष्टीकरण और दस्तावेजों को मांगने को सशक्त करने के लिए है ।

खंड 31–यह खंड नया अध्याय 9क का अंतःस्थापन करने के लिए है, जिससे कि सहकारी ऑम्बुड्समैन को की गई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्यों की शिकायतों के निपटारे के संबंध में कार्रवाई की जा सके ।

खंड 32–यह खंड अधिनियम की धारा 86 का संशोधन करने के लिए है, यदि रजिस्ट्रीकरण दुर्व्यपदेशन, कपट और सदृश द्वारा प्राप्त किया जाता है या यदि सदस्यों

की संख्या विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो जाती है, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को सदस्यों के प्रत्यावर्तन के लिए छह मास का समय दिया जाता है तब उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के परिसमापन के लिए उपबंध करता है ।

खंड 33–यह खंड अधिनियम की धारा 94 का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 84 के अधीन जारी किए गए आदेशों और विनिश्चयों को सम्मिलित करने का उपबंध करता है ।

खंड 34–यह खंड अधिनियम की धारा 98 का संशोधन करने के लिए है, कि व्यतिक्रम की दशा में, निर्वाचनों के संचालन के लिए सरकारी शिक्षा निधि का अभिदाय, सहकारी पुनर्वास और पुनःसन्निर्माण निधि का अभिदाय और सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा उपगत व्यय व्यतिक्रमी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के बैंक के लेखाओं को संलग्न करके वसूल किए जाएंगे ।

खंड 35–यह खंड नई धारा 98क का अंतःस्थापन करने के लिए है, जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा किसी पक्षकार से आवेदन की प्राप्ति पर धारा 94 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन दिए गए विनिश्चय का पुनर्विलोकन के लिए है ।

खंड 36–यह खंड धारा 103 में संशोधन करने के लिए है जो, यदि सभी उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा उक्त बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को राज्य सहकारी सोसाइटियों में विभाजित या पुनर्गठिन करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की दशा में समझी गई बहुराज्य सोसाइटी की समाप्ति के लिए उपबंध करता है ।

खंड 37–यह खंड धारा 104 का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय अपराधों के लिए शास्ति की रकम को बढ़ाने के लिए है ।

खंड 38–यह खंड नई धारा 105क अंतःस्थापन के लिए है जो उपबंध करता है कि इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त न कि उसके अल्पीकरण में होंगे ।

खंड 39–यह खंड धारा 106 का संशोधन करने के लिए है, जो सोसाइटी के मामलों और प्रबंधन के बारे में सदस्यों को सूचना प्रदान करने के लिए सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति के लिए उपबंध करता है ।

खंड 40–यह खंड धारा 108 में संशोधन करने के लिए है, जिससे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की लेखा बही का निरीक्षण करने के लिए, केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा कतिपय व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाए ।

खंड 41–यह खंड धारा 116 में संशोधन करने के लिए है, जो कि अनुसूचियों में संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्ति को विस्तारित करती है ।

खंड 42–यह खंड अधिनियम की धारा 120 में संशोधन करने के लिए है, जो संबंधित पक्षकार संव्यवहार, बोर्ड द्वारा पारित किए गए विनिश्चय जो कि सर्वसम्मत से नहीं थे, कर्मचारी जो बोर्ड के नातेदार हैं, आदि को सम्मिलित करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 43–यह खंड नई धारा 120क के अंतःस्थापन के लिए हैं, जो इलैक्ट्रानिक प्ररूप में आवेदनों या दस्तावेजों को फाइल करने के लिए उपबंध करता है । इसमें धारा 120 ख के अंतःस्थापन का भी प्रस्ताव है, जो यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम के उपबंध निगमन, विनियम और परिसमापन से संबंधित मामलों की बाबत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को लागू होंगे । परन्तु कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध, बैंककारी कारबार करने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी पर भी लागू होंगे ।

खंड 44–यह खंड धारा 121 में संशोधन करने के लिए है, जो "कुछ अधिनियमों का लागू न होना" से संबंधित है ।

खंड 45–यह खंड अधिनियम की धारा 123 में संशोधन करने के लिए है, जो बोर्ड की अधिक्रमण के लिए मानदंड और "विनिर्दिष्ट बहुराज्य सहकारी सोसाइटी" के पद के लिए स्पष्टीकरण देना विनिर्दिष्ट करता है ।

खंड 46–यह खंड धारा 124 में संशोधन करने के लिए है, जो "नियम बनाने की शक्ति" से संबंधित है ।

खंड 47–यह खंड अधिनियम की धारा 125 में संशोधन करने के लिए है, जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022 के उपबंधों को प्रभावी करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक उपबंधों के लिए उपबंध करता है ।

खंड 48–यह खंड नई अनुसूची अर्थात् "तीसरी अनुसूची" का अंतःस्थापन करने के लिए है, जो विभिन्न केन्द्रीय अधिनियमों का अंतःस्थापन, जिसके अधीन वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध डिक्री, विनिश्चय या आदेश के अधीन लंबित शोध्य कोई रकम है, धारा 43 के अधीन निरर्हता का दायी होगा ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 17 सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना करने का उपबंध करता है, जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचनों का संचालन करेगा । विधेयक के खंड 17 का उपखंड (5) प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और संदेय भत्तों तथा अन्य निबंधनों और शर्तों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 31, केंद्रीय सरकार द्वारा सदस्यों की शिकायतों की जांच करने के लिए, बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों हेतु सहकारी ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति के लिए धारा 85क को अंत:स्थापित करने के लिए है । विधेयक के खंड 31 का उपखंड (1) सहकारी ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति के लिए रीति का उपबंध करता है, जिसके अंतर्गत सहकारी ऑम्बुड्समैन के वेतन और संदेय भत्तों तथा अन्य निबंधन और शर्तें सम्मिलित हैं ।

विधेयक, यदि अधिनियमित किया जाता है तो इसमें भारत की संचित निधि में से प्रतिवर्ष लगभग पांच करोड़ चौरानवे लाख रुपए का व्यय अंतर्वलित होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 46 बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 124 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है । उक्त धारा की उपधारा (2) के प्रस्तावित संशोधन, अन्य बातों के साथ,– (क) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए दिशानिर्देश ; (ख) रीति, जिसमें बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का बोर्ड सूचना, दस्तावेज, कार्मिक, निधियां या व्यय या कोई अन्य सहायता, जो धारा 43 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निर्वाचनों का संचालन करने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ईप्सा करे ; (ग) चयन समिति की संरचना और धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की रीति ; (घ) धारा 45 की उपधारा (3) के खंड (iii) के अधीन प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव ; (ङ) धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; (च) धारा 45क के अधीन अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य ; (छ) धारा 45ख की उपधारा (2) के अधीन जांच की प्रक्रिया ; (ज) धारा 45ज की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण की बैठकों का समय, स्थान और कारबार के संव्यवहार के संबंध में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया ; धारा 45झ के खंड (iii) के अधीन प्राधिकरण के अन्य कृत्य ; (ञ) धारा 45ञ की उपधारा (3) के अधीन गुप्त मतदान द्वारा बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन की रीति ; (ट) धारा 45ञ की उपधारा (6) के अधीन प्राधिकरण के निर्वाचन कराने में व्ययों को चुकाने की रीति ; (ठ) धारा 45ट की उपधारा (1) के अधीन रिटर्निंग आफिसर द्वारा कृत्यों के निर्वहन की रीति और उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन पर्यवेक्षण ; (ड) धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया ; (ढ) धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन सहकारी शिक्षा निधि के अनुरक्षण की रीति ; (ण) धारा 85क की उपधारा (1) के अधीन सहकारी ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति की रीति तथा ऐसे ऑम्बुड्समैन को शिकायतें प्रस्तुत करना ; (त) धारा 85क की उपधारा (3) के अधीन ऑम्बुड्समैन के निदेशों के विरुद्ध सोसाइटी द्वारा अपील फाइल करने की रीति ; (थ) धारा 85क की उपधारा (5) के खंड (घ) के अधीन अन्य विषय ; (द) धारा 104 की उपधारा (6) के अधीन अविधिपूर्ण फायदों की वसूली और आगतों को जमा करने की रीति ; (ध) धारा 106 की उपधारा (2) के अधीन सूचना प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी फीस के साथ आवेदन करने की रीति ; (न) धारा 120क की उपधारा (1) के अधीन आवेदन फाइल करने, दस्तावेज का निरीक्षण करने और इलैक्ट्रानिक प्ररूप में सदृश से संबंधित मामलों के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की रीति ; और (प) धारा 120क की उपधारा (2) के अधीन केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन या शक्तियों का उपयोग करने की उस धारा में वर्णित विषयों के संबंध में शक्ति ।

2. वे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 39) से उद्धरण

* * * * * *

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * * *

(घ) "केन्द्रीय रजिस्ट्रार" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सहकारी सोसाइटियों का केंद्रीय रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उस धारा की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कोई अधिकारी भी है;

* * * * * *

(झ) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या ऐसी सोसाइटियों के वर्ग के संबंध में "सहकारी वर्ष" से उस वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष और जहां ऐसी सोसाइटी या ऐसे वर्ग की सोसाइटियों के लेखाओं का, केन्द्रीय रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी से, किसी अन्य दिन को तुलनपत्र तैयार किया जाता है, वहां उस दिन को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;

* * * * * *

(ध) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

* * * * * *

रजिस्ट्रीकरण ।

7. (1) * * * * *

(2) केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का निपटारा उसके द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(3) जहां केन्द्रीय रजिस्ट्रार किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को रजिस्टर करने से इंकार करता है वहां वह इंकार करने वाले ऐसे आदेश को इंकार करने के कारणों सहित, यथास्थिति, आवेदक या आवेदकों को, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर, संसूचित करेगा :

परंतु यह कि इंकार करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि, आवेदकों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है :

परन्तु यह और कि यदि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट चार मास की अवधि के भीतर निपटारा नहीं किया जाता या केंद्रीय रजिस्ट्रार उस अवधि के भीतर इंकार का आदेश संसूचित करने में असमर्थ रहता है तो आवेदन रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया समझा जाएगा और केन्द्रीय रजिस्ट्रार इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

* * * * * *

10. (1) * * * * * बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों की उपविधि ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी उपविधि निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के उपबंध कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) सोसाइटी का नाम, पता और कार्यक्षेत्र;

* * * * * *

14. प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कारबार का एक मुख्य स्थान होगा और विहित रीति से रजिस्ट्रीकृत पता होगा जिस पर सभी सूचनाएं और संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी । पते में परिवर्तन ।

* * * * * *

19. (1) * * * * * समनुषंगी संस्थाओं का संप्रवर्तन ।

(2) उपधारा (1) के अधीन संप्रवर्तित कोई समनुषंगी संस्था केवल तभी तक आस्तित्व में रहेगी जब तक कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का साधारण निकाय इसके आस्तित्व को आवश्यक समझता है :

परन्तु कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी किसी ऐसी समनुषंगी संस्था को संप्रवर्तित करते समय अपने कथित उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किए जा रहे कारबार या क्रियाकलाप के सारभूत भाग को अन्तरित या समनुदेशित नहीं करेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) कोई संस्था समनुषंगी संस्था समझी जाएगी यदि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी—

* * * * * *

(ii) ऐसी संस्था के साधारण शेयरों के अभिहित मूल्य में आधे से अधिक धारित करती हैं; या

(iii) यदि ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के एक या अधिक सदस्य, यथास्थिति, स्वयं या समनुषंगी संस्था के साथ या अपने संबंधियों सहित मिलकर, उस संस्था में साधारण शेयरों की बहुसंख्या धारण करते हैं;

* * * * * *

22. (1) * * * * * सहकारी सोसाइटियों का बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में संपरिवर्तन ।

(5)(क) * * * * *

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार तदुपरि यह निदेश करते हुए आदेश करेगा कि सोसाइटी केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण की तारीख से उस राज्य में प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित विधि के अधीन सोसाइटी नहीं रह गई है ।

* * * * * *

सोसाइटी का नाममात्र का या सहयुक्त सदस्य ।

26. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, यदि उसकी उपविधियों में इसके लिए उपबंध है, किसी व्यक्ति को नाममात्र के या सहयुक्त सदस्य के रूप में सम्मिलित कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई नाममात्र का या सहयुक्त सदस्य ऐसी सोसाइटी के शेयरों में अभिदाय करने का हकदार नहीं होगा या उसके प्रबंध तंत्र में कोई हित नहीं रखेगा जिसके अन्तर्गत मत देने, बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने या साधारण अधिवेशनों में भाग लेने का अधिकार आता है ।

* * * * * *

सम्यक् संदाय किए जाने तक सदस्यों द्वारा अधिकारों का प्रयोग न किया जाना ।

28. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य किसी सदस्य के अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने सदस्यता के संबंध में सोसाइटी को ऐसा संदाय न कर दिया हो या सोसाइटी में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्य के लिए निरर्हता ।

29. कोई व्यक्ति, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि—

* * * * * *

(ख) उसने लगातार दो वर्षों तक उपविधियों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम स्तर से कम की सेवाओं का उपयोग किया है; या

* * * * * *

सदस्यों का निष्कासन ।

30. (1) * * * * *

(2) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई ऐसा सदस्य, जिसे उपधारा (1) के अधीन निष्कासित किया गया है, ऐसे निष्कासन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक उस सोसाइटी के सदस्य के रूप में पुन : सम्मिलित किए जाने का पात्र नहीं होगा ।

* * * * * *

शेयरों का मोचन ।

35. (1) धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) से खण्ड (छ) तक में निर्दिष्ट प्राधिकरणों में से किसी प्राधिकरण द्वारा किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में धारण किए गए शेयर ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों की उपविधियों के अनुसार मोचनीय होंगे और उस दशा में, जहां उपविधियों में इसकी बाबत कोई उपबन्ध नहीं है, ऐसी रीति से मोचनीय होंगे, जो किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी और ऐसे प्राधिकरण के बीच तय की जाए ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शेयरों का मोचन शेयरों के अंकित मूल्य पर होगा ।

* * * * * *

निदेशक बोर्ड ।

41. (1) * * * * *

(3) बोर्ड में निदेशकों की संख्या उतनी होगी जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु किसी भी दशा में निदेशकों की अधिकतम संख्या इक्कीस से अधिक नहीं

होगी :

परंतु यह और कि बोर्ड, पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट इक्कीस निदेशकों के अतिरिक्त दो निदेशक सहयोजित कर सकेगा :

परंतु यह भी कि राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटियों के कृत्यकारी निदेशक भी बोर्ड के सदस्य होंगे और पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट निदेशकों की कुल संख्या की गणना ऐसे सदस्यों को छोड़कर की जाएगी ।

* * * * * *

बोर्ड का सदस्य होने के लिए निरर्हता ।

43. (1) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य या राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी की सदस्य सोसाइटी का नामनिर्देशिती ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी या किसी अन्य ऐसी सहकारी सोसाइटी के जिससे ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संबद्ध है, बोर्ड के रूप में चुने जाने या सदस्य होने का पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा सदस्य—

(क) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया या विकृतचित न्यायनिर्णीत किया गया है;

* * * * * *

(ज) वह ऐसा व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध किसी डिक्री, विनिश्चय या आदेश के अधीन शोध्य कोई रकम इस अधिनियम के अधीन वसूली के लिए लंबित है;

* * * * * *

(2) कोई व्यक्ति बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पांच वर्ष की अवधि तक पात्र नहीं होगा यदि ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का बोर्ड:—

(क) धारा 45 के अधीन बोर्ड के निर्वाचन करवाने में; या

* * * * * *

(ग) वित्तीय विवरण तैयार करने और उसे वार्षिक साधारण अधिवेशन में प्रस्तुत करने में,

असफल रहता है ।

* * * * * *

बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन ।

45. (1) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के लिए निर्वाचन कराने का उत्तरदायित्व विद्यमान बोर्ड का होगा ।

(2) बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा ।

(3) बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्यों के साधारण अधिवेशन में किया जाएगा ।

(4) बोर्ड के निर्वाचित सदस्य, यदि ऐसी सोसाइटी की उपविधियां अनुज्ञात करें, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे ।

(5) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि होगी जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु निर्वाचित सदस्य इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों के उपबंधों के अधीन अपने उत्तरवर्तियों के निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किए जाने तक पद धारण किए रहेंगे और अपने पद का भार ग्रहण करते रहेंगे ।

(6) जहां बोर्ड, बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन करवाने में असफल रहता है वहां केन्द्रीय रजिस्ट्रार, निर्वाचन उस तारीख से जिसको ऐसे निर्वाचन होने थे, नब्बे दिन की अवधि के भीतर करवाएगा ।

(7) कोई भी व्यक्ति किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह उस सोसाइटी के साधारण निकाय का सदस्य न हो ।

(8) केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा निर्वाचन कराए जाने का व्यय उक्त बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा वहन किया जाएगा ।

(9) केन्द्रीय सरकार बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने के लिए या उनका विनियमन करने के लिए साधारणतया नियम बना सकेगी ।

* * * * * *

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

49. (1) * * * * *

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्ति में निम्नलिखित शक्ति भी होगी, अर्थात्:—

* * * * * *

(ङ) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनमानों, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों को, जिनके अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाइयां भी हैं, विनियमित करने के लिए उपबंध कराना;

* * * * * *

बोर्ड के अधिवेशन ।

50. (1) मुख्य कार्यपालक, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष या सभापति की प्रेरणा पर बोर्ड के अधिवेशन बुलाएगा ।

* * * * * *

(3) सभापति, या किसी कारणवश यदि वह बोर्ड के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो अधिवेशन में उपस्थित बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया बोर्ड का कोई अन्य सदस्य अधिवेशन का सभापतित्व करेगा ।

* * * * * *

मुख्य कार्यपालक की शक्तियां और कृत्य ।

52. मुख्य कार्यपालक, बोर्ड के साधारण पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए नीचे विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

* * * * * *

(ञ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीस दिन के भीतर बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रारूप वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना;

* * * * * *

बोर्ड की समितियां ।

53. (1) बोर्ड, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, ऐसी कार्यपालक समिति, अन्य समितियों या उपसमितियों का गठन कर सकेगा जो आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु कार्यपालक समिति से भिन्न अन्य समितियां या उपसमितियां तीन से अधिक नहीं होंगी ।

* * * * * *

शुद्ध लाभों का व्ययन ।

63. (1) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, किसी वर्ष में अपने शुद्ध लाभों में से—

* * * * *

(ख) एक प्रतिशत भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा अनुरक्षित सहकारी शिक्षा निधि में ऐसी रीति से जमा करेगी जो विहित की जाए; और

* * * * * *

निधियों का विनिधान ।

64. कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अपनी निधियों को—

* * * * * *

1882 का 2

(ख) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में से किसी में; या

* * * * * *

(घ) किसी सहायक संस्था या किसी अन्य संस्था के शेयरों, प्रतिभूतियों या आस्तियों में; या

(ङ) किसी अन्य बैंक में; या

(च) ऐसे अन्य ढंग से जो उपविधियों में विहित किया जाए,

विनिहित या निक्षिप्त कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए "बैंक" से बैंककारी विनियमन

1949 का 10

अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित कोई बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

1955 का 23

(i) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक;

1959 का 38

(ii) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खंड (ट) में यथापरिभाषित कोई समनुषंगी बैंक;

1970 का 5

(iii) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्स्थानी नया बैंक, या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों

1980 का 40

का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित कोई

तत्स्थानी नया बैंक ।

* * * * * *

उधार लेने पर निर्बन्धन ।

67. (1) कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी बाह्य स्रोतों से निक्षेप, उधार और अनुदान केवल उसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन प्राप्त करेगी, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु किसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त निक्षेपों और उधारों की कुल रकम अभिदत्त शेयर पूंजी और संचित आरक्षितियों की राशि के दस गुणा से अधिक नहीं होगी :

* * * * * *

अध्याय 8

संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण और अधिभार

संपरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक ।

70. (1) * * * * *

(2) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन में एक या अधिक संपरीक्षक नियुक्त करेगी जो उस अधिवेशन की समाप्ति से आगामी वार्षिक अधिवेशन की समाप्ति तक पद धारण करेगा/करेंगे और नियुक्ति के सात दिन के भीतर इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक संपरीक्षक को उसकी प्रज्ञापना देगी :

परंतु ऐसा/ऐसे संपरीक्षक केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों के पैनल से या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा तैयार किए गए संपरीक्षकों के पैनल से, यदि कोई हैं, नियुक्त किया जाएगा/किए जाएंगे ।

* * * * * *

(7) (क) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संपरीक्षक के पद में किसी आकस्मिक रिक्ति को भर सकेगी किंतु जब तक ऐसी रिक्ति बनी रहती है तब तक शेष संपरीक्षक, यदि कोई हो कार्य करेगा/करेंगे :

परंतु जहां ऐसी रिक्ति किसी संपरीक्षक के त्यागपत्र से कारित हुई हो वहां वह रिक्ति बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा केवल साधारण अधिवेशन में ही भरी जाएगी ।

* * * * * *

अध्याय 10

बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों का परिसमापन

बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों का परिसमापन ।

86. (1) यदि धारा 70 के अधीन संपरीक्षा किए जाने या धारा 77 के अधीन या विशेष संपरीक्षा किए जाने या धारा 78 के अधीन कोई जांच किए जाने या धारा 79 के अधीन कोई निरीक्षण किए जाने के पश्चात्, केन्द्रीय रजिस्ट्रार की राय है कि सोसाइटी का परिसमापन किया जाना चाहिए, तो वह सोसाइटी को अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा उसका परिसमापन किए जाने का निदेश दे सकेगा ।

(2) केन्द्रीय रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से और किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसका परिसमापन करने का निदेश देने वाला आदेश कर सकेगा—

(क) जहां सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की यह एक शर्त है कि सोसाइटी में कम से कम पचास सदस्य होने चाहिएं और सदस्यों की संख्या घटकर पचास से कम हो गई है; या

(ख) जहां बहुराज्य सहकारी सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार इस निमित्त अनुज्ञात करे, अपना कार्य आरम्भ नहीं किया है या सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार कृत्य करना बंद कर दिया है ।

* * * * * *

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी बैंक का परिसमापन, रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय रजिस्ट्रार, किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का परिसमापन करने का आदेश करेगा यदि सोसाइटी साधारण अधिवेशन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करके उस सोसाइटी का परिसमापन करने का विनिश्चिय करती है ।

* * * * * *

अध्याय 11

डिक्रियों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन

विनिश्चयों, आदि का निष्पादन ।

94. धारा 39 या धारा 40 या धारा 83 या धारा 99 या धारा 101 के अधीन किया गया प्रत्येक विनिश्चय या आदेश, यदि क्रियान्वित न किया गया हो तो,—

* * * * * *

अध्याय 13

ऐसी सोसाइटियां जो राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां बन जाती हैं

राज्यों के पुनर्गठन के ठीक पूर्व कार्य कर रही सहकारी सोसाइटियां ।

1956 का 37

103. (1) जहां राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग 2 के उपबंधों या राज्यों के पुर्नगठन से संबंधित किसी अन्य अधिनियमिति के आधार पर, कोई सहकारी सोसाइटी जिसके उद्देश्य, उस दिन के ठीक पूर्व, जिसको पुनर्गठन हुआ था, एक राज्य तक सीमित थे, उस दिन से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी बन जाती है, वहां वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी समझी जाएगी और ऐसी सोसाइटी की उपविधियां जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक वे परिवर्तित या विखंडित न कर दी जाएं ।

* * * * * *

अध्याय 14

अपराध और शास्तियां

अपराध और शास्तियां ।

104. (1) कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर कोई मिथ्या विवरणी देगा या मिथ्या जानकारी देगा या इस अधिनियम के

उपबंधों के अधीन जारी किए गए किसी समन, अध्यपेक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश की, कोई व्यक्ति जानबूझकर या किसी युक्तियुक्त हेतुक के बिना अवज्ञा करेगा या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उससे अपेक्षित कोई जानकारी जानबूझकर नहीं देगा, तो वह जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, और जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) कोई नियोजक, जो पर्याप्त कारण के बिना, किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को धारा 60 के अधीन उसके द्वारा कटौती की गई रकम का उस तारीख से, जिसको ऐसी कटौती की गई है, चौदह दिन की अवधि के भीतर संदाय करने में असफल रहेगा, ऐसी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती है, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(3) कोई अधिकारी या अभिरक्षक जो किसी ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से, जिसका वह अधिकारी या अभिरक्षक है, संबंधित बहियों, लेखाओं, दस्तावेजों, अभिलेखों, नकद प्रतिभूति और अन्य संपत्ति की अभिरक्षा, धारा 54 या धारा 70 या धारा 78 या धारा 79 या धारा 89 के अधीन हकदार किसी व्यक्ति को देने में जानबूझकर असफल रहेगा, जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और चालू रहने वाले भंग की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा भंग, ऐसे प्रथम भंग के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् चालू रहता है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(4) जो कोई धारा 38 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रतिनिधियों के निर्वाचन या बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन से पूर्व; उसके दौरान या पश्चात्—

(क) किसी नामनिर्देशन पत्र को कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; या

(ख) रिटर्निंग आफिसर के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करेगा, नष्ट करेगा या हटाएगा; या

(ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिह्न या पहचान की किसी घोषणा को कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; या

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देगा या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा या अपने कब्जे में कोई मतपत्र रखेगा; या

(ङ) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई अन्य चीज कपटपूर्वक डालेगा; या

(च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्र को, जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में हैं, नष्ट करेगा; लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा ; या

(छ) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यों के करने में जानबूझकर

सहायता करेगा या उन कार्यों का दुष्प्रेरण करेगा;

(ज) किसी व्यक्ति को किसी दान की प्रस्थापना करेगा या परितोषण की प्रस्थापना करने का वचन देगा, जिसका प्रत्यक्षत: या परोक्षत: यह उद्देश्य हो कि—

(i) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या न होने के लिए या अभ्यर्थिता वापस लेने या न लेने के लिए; अथवा

(ii) किसी सदस्य को किसी निर्वाचन में मत देने या मत देने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित किया जाए अथवा व्यक्ति के लिए इस प्रकार खड़ा होने या न होने या इस बात के लिए कि उसने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली या नहीं ली; अथवा

(iii) किसी सदस्य के लिए इस बात के लिए कि वह मत देने या मत देने से विरत रहे, ईनाम के रूप में हो,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

* * * * * *

अध्याय 15

प्रकीर्ण

उपविधियों आदि की प्रति का निरीक्षण के लिए खुला रहना ।

106. प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, नियमों और उसकी उपविधियों की एक प्रति और अपने सदस्यों की एक सूची भी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत पते पर, सभी युक्तियुक्त समयों पर, नि:शुल्क निरीक्षण के लिए खुली रखेगी ।

* * * * * *

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की लेखा बहियों इत्यादि का निरीक्षण ।

108. (1) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की लेखा बहियां और अन्य बहियां तथा कागज-पत्र निम्नलिखित द्वारा निरीक्षण के लिए कारबार के समय के दौरान खुले रहेंगे—

(i) केन्द्रीय रजिस्ट्रार, या

* * * * * *

दूसरी अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति ।

116. (1) * * * * *

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई प्रत्येक अधिसूचना की प्रतिलिपि उसके बनाए जाने के यावत्शक्य पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

* * * * * *

विवरणियों का फाइल किया जाना ।

120. प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी प्रत्येक वर्ष लेखावर्ष के बंद होने के छह मास के भीतर केन्द्रीय रजिस्ट्रार के समक्ष निम्नलिखित विवरणियां फाइल करेगी:—

(क) क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट;

* * * * * *

(च) अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई जानकारी ।

कुछ अधिनियमों का लागू न होना ।

121. (1) कंपनी अधिनियम, 1956 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबंध बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को लागू नहीं होंगे । 1956 का 1 1969 का 54

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां या रजिस्ट्रीकृत समझी गई बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में परिभाषित एकाधिकारिक तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार में भाग नहीं लेंगी । 1969 का 54

* * * * * *

विनिर्दिष्ट बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का अधिक्रमण ।

123. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की राय में, किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का बोर्ड इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में बार-बार व्यतिक्रम कर रहा है या उनकी उपेक्षा करता है या उसने कोई ऐसा कार्य किया है जो सोसाइटी के या उसके सदस्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है या उसने धारा 122 के अधीन उसे दिए गए किन्हीं निदेशों का अनुपालन करने में लोप किया है या असफल रहा है या बोर्ड के गठन में अथवा कृत्य करने में गत्यावरोध आ गया है, तो केन्द्रीय सरकार, बोर्ड को अपने आक्षेपों का, यदि कोई हों, कथन करने का अवसर देने के पश्चात् और आक्षेपों पर, यदि प्राप्त हों, विचार करने पर लिखित आदेश द्वारा, बोर्ड को हटा सकेगी और एक या अधिक प्रशासकों को, जिनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे सोसाइटी के सदस्य हों, सोसाइटी के कार्यकलापों का छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए और जो केन्द्रीय सरकार के विवेक पर समय-समय पर बढ़ाई जा सकेगी किन्तु जिसकी कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु सहकारी बैंक के मामले में, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो एक वर्ष शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे गए हों ।

* * * * * *

स्पष्टीकरण—धारा 122 और 123 के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी" से ऐसी कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसमें समादत्त शेयर पूंजी या कुल शेयरों के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित हों ।

नियम बनाने की शक्ति ।

124. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

* * * * * *

(ट) धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन बोर्डों के सदस्यों का गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन;

* * * * * *

(ण) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए बोर्ड, धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन कार्यपालक समिति और अन्य समितियां या उपसमितियां गठित कर सकेगा;

* * * * * *

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

* * * * * *